

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2023/ 1140

दिनांक - 31/03/23

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 आसूसिंह 2 कानसिंह पिसरान
निम्बसिंह 3 खेराजसिंह 4 छोगसिंह
पिसरान सगतसिंह 5 पीरसिंह पुत्र
निम्बसिंह 6 भानसिंह पुत्र रणजीतसिंह 7
मिश्रीसिंह पुत्र सगतसिंह 8 सूजीदेवी
पत्नी सगतसिंह जाति पुरोहित निवासी
बालेरा तहसील व जिला बाड़मेर।


1 भाखरसिंह पुत्र उत्तमसिंह 2 कुम्पसिंह पुत्र
हेमसिंह 3 भोपालसिंह 4 बाबूसिंह 5 खीरसिंह
पिसरान राणसिंह 6 चांदसिंह 7 हरखसिंह 8
सवाईसिंह 9 अर्जुनसिंह पिसरान चिमनसिंह 10
स्वरूपसिंह 11 डूंगरसिंह पिसरान निम्बसिंह 12
रेखादेवी पत्नी निम्बसिंह जाति पुरोहित 13
कमलाराम 14 छगनाराम 15 खीमाराम पिसरान
हुकमाराम जाति मेघवाल 16 शैतानसिंह 17
गोविन्दसिंह 18 दिनेशसिंह पिसरान प्रतापसिंह
19 मांगूसिंह पुत्र जामसिंह 20 गुमानसिंह 21
महेशसिंह पिसरान भंवरसिंह जाति राजपुरोहित
निवासी बालेरा तहसील व जिला बाड़मेर 22
पुरखसिंह पुत्र चिमनसिंह जाति राजपुरोहित
निवासी निम्बडी मन्दिर के पास रड़वा बाड़मेर
23 तहसीलदार बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 325/2022

दिनांक- 29/03/23

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बालेरा पटवार क्षेत्र बालेरा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 116 रकबा 10.3761 हैक्टर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2023/ 1141- 44

दिनांक- 31/03/23

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बालेरा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. आसूसिंह पुत्र निम्बसिंह वगैराह जाति राजपुरोहित निवासी बालेरा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी भाखरसिंह पुत्र उत्तमसिंह वगैराह जाति राजपुरोहित निवासी बालेरा तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर